न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–144/2015–16 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0

सुनील गुजराल उर्फ सुनील कुमार गुजराल, पुत्र स्व0 छत्रगुण गुजराल, निवाासी जी–7 रेसकोर्स, देहरादून।

बनाम

ओमप्रकाश पुत्र स्व0 देवी दयाल, निवासी रेलवे रोड, बाल्मीकि बस्ती, ऋषिकेश, जिला देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री मधुसूदन शर्मा, श्री सोमेश डोभाल।
अधिवक्ता उत्तरदाता : श्री रघुवीर सिंह।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने कलेक्टर, देहरादून द्वारा अपील संख्या–20/2014–15 सुनील गुजराल बनाम ओम प्रकाश अन्तर्गत धारा–210 भू0रा0अधि0 में पारित निर्णयादेश दिनांक 18–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

निगरानीकर्ता सुनील गुजराल पुत्र छत्रगुण गुजराल निवासी–14/4 रेसकोर्स देहरादून ने विक्रय पत्र दिनांक 14–03–1973 के आधार पर एक नामान्तरण प्रार्थना पत्र बावत भूमि खसरा नं0–65क क्षेत्रफल 0.0710 है0 खसरा नं0–75क क्षेत्रफल 0.0100 है0 खसरा नं0–76 क्षेत्रफल 0.0300 है0 व खसरा नं0–77ख क्षेत्रफल 0.0710 है0 पुराना खसरा नं0–26 कुल क्षेत्रफल 0.1820 है0 स्थित मौजा रानीपोखरी ग्रान्ट, परगना परवादून, जनपद देहरादून तहसीलदार, ऋषिकेश के समक्ष दिनांक 23–08–2005 को प्रस्तुत किया जिसपर इश्तिहार जारी किये जाने के उपरान्त नियत समय अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण कार्यवाही निर्विवाद मानकर विद्वान तहसीलदार ने आदेश दिनांक 04–10–2005 से नामान्तरण प्रार्थना स्वीकार कर निगरानीकर्ता के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया।

आदेश दिनांक 04–10–2005 के विरूद्ध उत्तरदाता ओमप्रकाश ने एक पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–151 जं0वि0अधि0 एवं 201 भू0रा0अधि0 का एक प्रार्थना पत्र धारा–5 मर्यादा अधिनियम के साथ दिनांक 28–02–2012 प्रस्तुत किया जिसपर विद्वान तहसीलदार, ऋषिकेश ने सुनवाई कर यह अवधारित कर कि मूल नामान्तरण कार्यवाही में भू0रा0अधि0 की धारा–34 का अनुपालन नही किया गया है एवं नामान्तरण प्रार्थना पत्र लगभग 30 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है अपने आदेश दिनांक 05–06–2014 से पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नामान्तरण आदेश दिनांक 04–10–2005 निरस्त कर सम्पूर्ण कार्यवाही समाप्त की।

तहसीलदार, ऋषिकेश के आदेश दिनांक 05–10–2014 के विरूद्ध निगरानीकर्ता सुनील गुजराल ने कलेक्टर, देहरादून के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा–210 भू0रा0अधि0 प्रस्तुत की जिसे विद्वान कलेक्टर ने आदेश दिनांक 18–11–2015 से यह अवधारित करते हुए कि "अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपने अपीलीय प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में एक वाद प्रथम श्रेणी, ऋषिकेश में दायर किया गया है एवं उक्त वाद आज भी विचारणीय है, अतः अपीलार्थी को चाहिए था कि वह उक्त वाद में अपने हितों के सम्बन्ध में समुचित पैरवी करते" अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध वर्तमान निगरानी निदेशित है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावलियों का भली भांति अध्ययन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आलोच्य नामान्तरण की कार्यवाही का इतिहास दोहराते हुए तर्क किया कि वादग्रस्त भूमि पर अनुसूचित जाति के भूमिधर द्वारा अपनी भूमि विक्रय किये जाने सम्बन्धी निषेध विधि के दिसम्बर, 1974 में प्रभावी होने के आधार पर लागू नही होता है क्योंकि आलोच्य विक्रय दिनांक 14–03–1973 को हुआ है, मूल क्रेता जो कि निगरानीकर्ता का पिता था की मृत्यु होने के पश्चात जब खतौनी का उद्धरण लिया गया तो वादग्रस्त भूमि में वादी के पिता का नाम अंकित होना नही पाया तद्नुसार 2005 में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया जिसे दिनांक 04–10–2005 को स्वीकार किया गया, कि वादग्रस्त भूमि पर निगरानीकर्ता के पिता के समय से ही खनन कार्य हेतु 2 कमरे व कार्यालय बने है एवं उसपर ट्रक खड़े होते है, यंहा तक कि खनन का कार्य बन्द होने के उपरान्त भी स्थल पर खण्डहर यथावत है, कि उत्तरदाता द्वारा वर्ष 2008 में प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–229बी जं0वि0अधि0 का एक वाद सहायक कलेक्टर, ऋषिकेश के समक्ष योजित किया गया है जिसका विधिक आशय यह है कि निगरानीकर्ता का स्वत्व उत्तरदाता को स्वीकार है, कि भू0रा0अधि0 की कार्यवाही पर धारा–151 सी0पी0सी0 नही लागू होती है एवं 2012 में उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलम्बित है जबकि उसे 2008 में नामान्तरण का ज्ञान होने के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, कि तहसीलदार, ऋषिकेश ने निगरानीकर्ता की आपत्ति पर स्थल निरीक्षण स्वयं करने का निर्णय लिया परन्तु स्वयं निरीक्षण न कर लेखपाल को निरीक्षण हेतु निर्देशित किया एवं लेखपाल ने कोई निरीक्षण न कर एक फर्जी आख्या प्रस्तुत की जिसे न तो सिद्ध किया गया न उसपर आपत्ति करने का अवसर प्रदान किया गया, कि उत्तरदाता ऋषिकेश में रहता है, कि निगरानीकर्ता मूल क्रेता का एकमात्र पुत्र होना धारा–229बी जं0वि0अधि0 के प्रस्तुत वाद के वाद पत्र से ही सिद्ध है, कि नामान्तरण की कार्यवाही में परिसीमा की बाधा नही होती है, कि पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र में सर्वप्रथम धारा–5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण होना चाहिए था परन्तु तहसीलदार, ऋषिकेश द्वारा नामान्तरण आदेश खण्डित किया गया जो कि वे विधितः नही कर सकते थे क्योंकि आलोच्य विक्रय पत्र को चुनौती नही दी गई है

क्योंकि उसके क्रेता व विक्रेता दोंनो की मृत्यु हो चुकी है एवं धारा–90 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत यह विक्रय पत्र विधिमान्य है, कि इश्तिहार जारी करने की तिथि में त्रुटि न्यायालय की त्रुटि है एवं नामान्तरण आदेश दिनांक 04–10–2005 विधिवत पारित हुआ है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में भिन्न भिन्न न्यायालयों के 23 न्यायिक दृष्टान्तों का उल्लेख किया है जिनकी यथास्थान व्याख्या की जा रही है।

उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मूल नामान्तरण प्रार्थना पत्र दिनांक 23–08–2005 में छत्रगुण गुजराल क्रेता के एकमात्र उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में कोई प्रमाण नही प्रस्तुत किया गया है एवं विक्रेता का सशपथ अनुसूचित जाति का न होना दिखाया गया है जबकि वह बाल्मीकि समुदाय का व्यक्ति था, कि दिनांक 23–08–2005 के नामान्तरण प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में इश्तिहार दिनांक 22–08–2005 को निर्गत किया गया है जिसमें वादग्रस्त भूमि का क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण अंकित है एवं इसके पुश्त पर लेखपाल द्वारा क्रेता का अध्यासन नही सत्यापित किया गया है न ही निगरानीकर्ता/प्रार्थी को मृतक क्रेता का उत्तराधिकारी होने सम्बन्धी सत्यापन किया गया एवं इश्तार न तो भूमि प्रबन्धन समिति को प्रेषित की गई है न विक्रेता अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारियों को भेजी गयी है, कि नामान्तरण आदेश दिनांक 04–10–2005 प्रारूप पर पारित किया गया है जिसमें तिथि बाद में अंकित की गई है क्योंकि उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि जब प्राप्त की गई उसमें कोई तिथि अंकित नही थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है, कि धारा–229बी जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद में उत्तरदाता की मां ही पैरोकार थी जिसकी मृत्यु 2012 में हुई तभी उत्तरदाता सक्रिय हुआ एवं बिना विलम्ब के पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, कि लेखपाल द्वारा स्थल निरीक्षण दोंनो पक्षों को नोटिस भेजकर किया गया एवं यह पाया कि स्थल पर खण्डहर व अन्य निर्माण उत्तरदाता का है एवं कि मूल नामान्तरण की सम्पूर्ण कार्यवाही प्रदूषित है एवं निगरानीकर्ता को पुनः नया आवेदन करना चाहिए।

निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 23–08–2005 को वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 14–03–1973 के आधार पर नामान्तरण स्वयं के पक्ष में किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अविवादित होने के आधार पर विद्वान तहसीलदार, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 04–10–2005 को स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध उत्तरदाता द्वारा दिनांक 26–12–2012 को एक पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि उक्त नामान्तरण फर्जी, शून्य व निष्प्रभावी विक्रय पत्र के आधार पर बिना विधिवत उद्घोषणा निर्गत किये प्राप्त किया गया है क्योंकि विक्रेता अनुसूचित जाति का था जिसकी मृत्यु हो चुकी है एवं प्रार्थी की माता की मृत्यु दिनांक 03–12–2012 को होने के उपरान्त वही उसका एकमात्र उत्तराधिकारी है अतः उक्त नामान्तरण आदेश निरस्त कर उसे आपत्ति का अवसर प्रदान किया जाए ताकि नामान्तरण प्रकरण का गुण दोष के आधार पर निस्तारण हो सके।

विद्वान तहसीलदार, ऋषिकेश ने दोंनो पक्षों को सुनवाई का सम्यक अवसर प्रदान कर एवं स्थल सम्बन्धी आख्या लेखपाल से प्राप्त कर अपने आदेश दिनांक 05–06–2014 से न केवल पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया अपितु सम्पूर्ण नामान्तरण की कार्यवाही प्रदूषित, कालबाधित एवं धारा–34 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत विधिक न होने के आधार पर समाप्त की एवं राजस्व अभिलेखों में मृतक देवी दयाल के स्थान पर उसके विधिक उत्तराधिकारियों का नाम भी अंकित करने का आदेश पारित किया। विद्वान तहसीलदार, ऋषिकेश के उक्त निर्णयादेश में मूल नामान्तरण की कार्यवाही में की गई विधिक एवं तात्विक अनियमितता का विस्तृत उल्लेख किया गया परन्तु पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के दृष्टिगत विलम्ब मर्षण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मर्यादा अधिनियम के सम्बन्ध में कोई विवेचन/विश्लेषण व निष्कर्ष नही अंकित किया गया एवं उत्तरदाता के एतद्सम्बन्धी प्रार्थना पत्र, कागज संख्या–3/2, में पृथंक से दिनांक 05–06–2014 को एक सूक्ष्म आदेश निम्नवत पारित किया।

''मा0 सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग रामजी दास व अन्य बनाम मोहन सिंह सिविल अपील नं0–509 वर्ष 1978 निर्णय 18–10–78 की रूलिंग की छायाप्रति प्रस्तुत जिसे आधार मानते हुए वादी/रैस्टोरेशनकर्ता ओमप्रकाश का प्रार्थना पत्र धारा–5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है''।

विधितः सर्वप्रथम विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुनकर एक सकारण व सुव्यक्त आदेश पारित कर उसका निस्तारण किया जाना चाहिए था एवं विलम्ब मर्षित किये जाने की स्थिति में पुनर्स्थापन पत्र पर विधिवत सुनवाई कर ही आदेश पारित किया जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धरित उच्च न्यायालय गौहाटी बौनगाईगांव स्टोर्स बनाम मूलचन्द कचेरिया 2003 सुप्रीम (गौ) 67, की मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, बीरबल सिंह बनाम अपर आयुक्त व अन्य, 2014 (4) ए0डी0जे0 674, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड की श्रीमती जूमिया बनाम अफजल, 2016 (3) यू0ए0डी0 6, मा0 सर्वोच्च न्यायालय की रामकली देवी बनाम प्रबन्धक, पी0एन0बी0 1977 उच्चतम न्यायालय (एस0सी0) 1057 एवं मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड की बुद्धसिंह बनाम अपर जिलाधिकारी, हरिद्वार व अन्य 2005, सुप्रीम (यू0के0) 445, में प्रतिपादित न्यायिक व्यवस्थाओं द्वारा विधिक स्थिति स्पष्ट की गई है। तद्नुसार इस सम्बन्ध में विद्वान तहसीलदार, ऋषिकेश ने अपने आदेश दिनांक 05–06–2014 को पारित करने में विधिक अनियमितता की है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त विद्वान तहसीलदार ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र न केवल स्वीकार किया अपितु नामान्तरण की कार्यवाही आरम्भ से ही समाप्त/ अपखण्डित (quash) कर दी जबकि वे विधितः ऐसा नही कर सकते थे क्योंकि उन्हें पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के उपरान्त दोंनो पक्षों को सम्यक सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही नामान्तरण के सम्बन्ध में साक्ष्य एवं विधिसम्मत आदेश पारित करना चाहिए था क्योंकि नामान्तरण प्रार्थना

पत्र/सूचना का विधिवत तार्किक परिणति (logical conclusion) आवश्यक थी। विद्वान तहसीलदार नामान्तरण सूचना/प्रार्थना पत्र को अधर में नही छोड़ सकते थे, उन्हें उसका नकारात्मक अथवा सकारात्मक निस्तारण करना ही था। तद्नुसार उन्होंने स्वयं में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नही किया है। न केवल इतना ही बल्कि उन्होंने अपने पूर्वाधिकारी के निर्णयादेश को अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय के तरह व्यवहरित किया है। वे पुनर्स्थापन प्रार्थना को स्वीकारणीय पाने की स्थिति में मूल नामान्तरण आदेश वापस ले सकते थे परन्तु अपने पूर्वाधिकारी के निर्णय पर उन्हें टीका टिप्पणी करने का अधिकार नही था।

विद्वान कलेक्टर ने तो उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र एवं उसके विलम्ब से प्रस्तुत होने के आधार पर उसके साथ प्रस्तुत विलम्ब मर्षण प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई विवेचन व विश्लेषण नही किया है न ही उन्होंने विद्वान तहसीलदार, ऋषिकेश के आक्षेपित निर्णयादेश की कोई समीक्षा, सम्वीक्षा अथवा विश्लेषण किया है एवं अपने समक्ष प्रस्तुत अपील को मात्र इस आधार पर अस्वीकृत किया है कि एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी जं0वि0अधि0 सहायक कलेक्टर, ऋषिकेश के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उभयपक्षों को अपने अपने अधिकारों की घोषणा सुनिश्चित करानी चाहिए एवं कि मूल नामान्तरण प्रार्थना पत्र क्रय के वर्ष से लगभग 30 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है। नामान्तरण प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत होने के आधार पर उसे मात्र इसी आधार पर अस्वीकृत नही किया जा सकता है क्योंकि इस सम्बन्ध में विधितः कोई समयसीमा नही निर्धारित है। इसके अतिरिक्त नामान्तरण की कार्यवाही स्वत्व के वाद कि विचाराधीन रहने से बाधित नही होती है क्योंकि यह एक सरसरी राजस्वीय कार्यवाही है जिसमें पारित आदेश किसी नियमित वाद को वर्जित नही करती है जैसा कि धारा–40क भू0रा0अधि0 से स्पष्ट है। तद्नुसार विद्वान कलेक्टर भी स्वयं में निहित अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग करने में असफल रहे है एवं ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो उनमें निहित नही था।

निगरानी उक्तवत किये गये विश्लेषण व विवेचन के आधारं पर ग्राह्य एवं स्वीकारणीय होती है परन्तु यदि मूल नामान्तरण पत्रावली पर दृष्टिपात करते है तो यह स्पष्ट होता है कि नामान्तरण प्रार्थना पत्र/सूचना प्रस्तुत होने के उपरान्त जो उद्घोषणा/इश्तिहार निर्गत होना दर्शाया गया है, कागज संख्या–5/1 के बाद का 17वां कागज, उसको निर्गत करने की तिथि को त्रुटि मान लें तो भी यह उद्घोषणा भू0रा0अधि0 की धारा–197 के अनुरूप नही निर्गत है एवं राजस्व न्यायालय नियमावली के नियम–ए–376 के अनुसार उसकी प्रति अन्तरक/विक्रेता एवं उसके सहखातेदार, यदि कोई हो, को नही भेजी गयी है और न ही भूमि प्रबन्धन समिति के सभापति को नियम–ए–370 के अनुसार उपलब्ध कराई गयी है जैसा कि कथित इश्तिहार दिनांक 22–08–2005 के पृष्ठ भाग पर बिना तिथि के पृष्ठांकित टिप्पणी से भी स्पष्ट है जिसपर 2 व्यक्तियों के आद्याक्षर अंकित है परन्तु यह स्पष्ट नही है कि वे किनके हस्ताक्षर है। सम्भवतः यह हस्ताक्षर चस्पानगी की पुष्टि में किये गये हैं। यदि लेखपाल की तामील सम्बन्धी टिप्पणी को ही सत्य माने तो कथित इश्तिहार/उद्घोषणा मात्र मौके पर

सार्वजनिक स्थल पर चस्पा की गई है अर्थात् किसी अन्य को इसकी प्रतिलिपि नही उपलब्ध कराई गई है। यद्यपि उद्घोषणा/इश्तिहार सार्वजनिक रूप से निर्गत किया जाता है परन्तु इनकी प्रतियों को विधिवत रूप से प्रदर्शित, चस्पा अथवा उपलब्ध कराने सम्बन्धी पूर्व में वर्णित विधिक प्राविधान बाध्यकारी है जिनके अभाव में इश्तिहार/उद्घोषणा को विधिवत निर्गत होना नही माना जायेगा एवं बिना विधिवत उद्घोषणा निर्गत की गई नामान्तरण की कार्यवाही पूर्णतः दूषित (vitiated) मानी जायेगी एवं पारित नामान्तरण शून्य (nullity) माना जायेगा। इस सम्बन्ध में उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस न्यायालय की न्याय व्यवस्था, जोखुराम आदि बनाम राज्य आदि, 2012 (117) आर0डी0 35 (एच0) एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की मौहम्मद हनीफ व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, 2013 (120) आर0डी0 99, में प्रतिपादित न्याय व्यवस्था वर्तमान प्रकरण में प्रासंगिक है।

चूंकि वर्ष 2005 में व्यवहरित नामान्तरण की कार्यवाही उद्घोषणा के विधिवत न निर्गत किये जाने के दृष्टिगत दूषित है। अतः नामान्तरण सूचना/प्रार्थना पत्र के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त की समस्त कार्यवाही अभिखण्डित (quash) होने योग्य है एवं उद्घोषणा के स्तर से आलोच्य नामान्तरण की कार्यवाही नये सिरे से सम्पादित किया जाना विधितः अनिवार्य है।

आलोच्य नामान्तरण प्रकरण की उक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत गुण दोष सम्बन्धी तर्क एवं विधिक व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना आवश्यक नही है क्योंकि नामान्तरण के गुण दोष के सम्बन्ध में ऐसे तर्क एवं विधिक व्यवस्थाएं विद्वान तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का उभयपक्ष को पूर्ण अवसर है।

आदेश

निगरानी उपर्युक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार कर आलोच्य नामान्तरण की कार्यवाही उद्घोषणा के स्तर से, विद्वान तहसीलदार का नामान्तरण आदेश दिनांक 04–10–2005 पुनर्स्थापन आदेश दिनांक 05–06–2014 एवं विद्वान कलेक्टर के अपीलीय आदेश दिनांक 18–11–2015 सहित अपखण्डित (quash) की जाती है एवं प्रकरण तहसीलदार, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे नामान्तरण की कार्यवाही उद्घोषणा धारा–197 भू0रा0अधि0 एवं राजस्व न्यायालय नियमावली के संगत नियमों का आवश्यक पालन कर निर्गत कर विधिवत प्रकरण का निस्तारण करें। उभयपक्ष दिनांक 10–07–2017 को अवर न्यायालय में उपस्थित हों। इस न्यायालय की पत्रावली संचित तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियाँ वापस की जाएं।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 02–06–2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)